

प्रेषक,

एच०पी० सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उ०प्र०, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक : ०१ जून, 2015

प्र॒

विषय: वित्तीय वर्ष 2015-16 में "शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वस्तियों में इंटरलाकिंग, नाली निर्माण एवं अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना" के कार्यान्वयन हेतु अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत द्वितीय/अंतिम किशत की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-279/76/एक/एवीएमवीवीवाई/2013-14, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वस्तियों में इंटरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना" योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में अनुदान संख्या-37 से जनपद-हापुड़ की न०पा०प०, हापुड़, पिलखुआ एवं गढ़मुक्तेश्वर की 11 परियोजनाओं, जनपद-शाहजहांपुर की न०पा०, कल्या की 03 परियोजनाओं एवं जनपद-गोण्डा की न०पा०प०, करनैलगंज की 04 परियोजनाओं अर्थात् उक्त जनपदों की विभिन्न अल्पसंख्यक बाहुल्य वस्तियों में इंटरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्यों व अन्य सुविधाओं की स्थापना हेतु कुल 18 परियोजनाओं के लिए बजट में प्राविधिक धनराशि से शासनादेश संख्या-1834/69-1-2013-73(बजट)/2013, दिनांक 28 फरवरी, 2014 द्वारा रु० 379.91 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित उक्त के सापेक्ष परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् रु० 189.955 लाख की धनराशि प्रथम किशत के रूप में जारी की गयी थी। अतएव वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-37 में योजनान्तर्गत प्राविधिक बजट से उक्त जनपदों में से केवल जनपद-हापुड़ की न०पा०प०, हापुड़ व पिलखुआ की 02 परियोजनाओं के कार्यों को पूर्ण करने हेतु निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-6 में अंकित द्वितीय/अंतिम किशत की धनराशि रु० 33.385 लाख (रुपये तैंतीस लाख अड़तीस हजार पाँच सौ मात्र) की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	निकाय/ न०पा० का नाम	वस्ती/वार्ड का नाम	परियोजना की कुल लागत	द्वितीय/अंतिम किशत के रूप में स्वीकृति योग्य धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	हापुड़	न०पा०प०, हापुड़	मजीदपुरा कालोनी भाग-वी में इंटरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	33.23	16.615
2	हापुड़	न०पा०प०, पिलखुआ	सदीकपुरा कालोनी भाग-ए में इंटरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	33.54	16.77
योग				66.77	33.385

(रुपये तैंतीस लाख अड़तीस हजार पाँच सौ मात्र)


-2/-

प्र॒ जौनीयी डॉ तुला, पा०

TC
31/11/15

1. उक्त धनराशि प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों विषयक शासनादेश संख्या- 32/69-1-13-14(31)2012टीसी, दिनांक 16 जनवरी, 2013 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
2. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिवर्त्तों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में पाय को जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियों, गतिशीलता गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को भिल सके।
4. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित इडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित इडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यापर्तन अनुमत्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपोजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
7. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को जिलों के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित इडा का होगा।
8. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुरूप किया जायेगा।
9. उक्त धनराशि सम्बन्धित, निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व सूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजनाओं के आगणनों का गठन वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप है तथा उसमें कार्य विशेष की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से अथवा प्रायोजना के स्कोप को कम करके अथवा प्राविधानों को कम करके लागत अंकलित नहीं की गई है।
10. उक्त धनराशि यथासन्य सम्बन्धित इडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।
11. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/इडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

12. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, ३०प्र०, लखनऊ द्वारा सचिव/प्रमुख सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, ३० प्र० शासन के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
13. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाऊचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
14. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष २०१५-१६ में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
15. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी ३१ मार्च, २०१६ तक व्यय हो सके।
 2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष २०१५-१६ में अनुदान संख्या-३७ में योजनान्तर्गत प्रस्तावित बजट में उपलब्ध धनराशि से लेखाशीर्षक “२२१७-शहरी विकास-आयोजनागत-०४-गन्दी बस्तियों का विकास-०५१-निर्माण-०३-मलिन बस्तियों तथा अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में सी०सी० रोड/इण्टरलाकिंग तथा नाली आदि का निर्माण-३५-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सूजन हेतु अनुदान” के नामे डाला जायेगा।
 3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या-२/२०१५/वी-१-९२५/दस-२०१५-२३१/२०१५, दिनांक ३०.०३.२०१५ व समय-समय पर जारी आदेशों के सहत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एच०पी० सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-५६१/२०१५/१२२४(१)/६९-१-२०१५ तिदिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं टकदीरी), प्रथम, ३०प्र०, २० सरोजनी नायदू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, ३०प्र०, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, ३०प्र० शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, हापुड़।
5. बुद्ध्य काषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (ई-८) अनुभाग, ३०प्र० शासन।
7. नियोजन अनुभाग-४, ३०प्र० शासन।
8. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, ३०प्र०, लखनऊ।
9. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

(एच०पी० सिंह)
विशेष सचिव।